न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 231/2006 तारीख रजू:– 06.11.2006

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर
R.A.S.

1. दीपचन्द पुत्र श्योजी जाति माली निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन – मृतक

1/1. प्रभू पुत्र दीपचन्द		समस्त जाति माली,
1/2. बाबू	पिसरान	निवासी क्यारदा खुर्द,
1/3. मु० फूलवती	श्योजी पुत्र	तहसील हिण्डौन,
1/4. राजारामे	दीपचन्द	जिला करौली
1/5. मु० सुफेदी		राजस्थान।
1/6. रामखिलाड़ी		
1/7. मु0 नथिया बेवा दीपचन्द		

2. कलुआ पुत्र श्योजी जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन जिला–वादीगण

बनाम

1. मंगल पुत्र रामचन्द जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन – मृतक

1/1. भागमल	पिसरान मंगल, जाति माली,
1/2. पदम	निवासी क्यारदा खुर्द, तहसील हिण्डौन,
1/3. भरतलाल	जिला करौली, राजस्थान।

1/4. श्रीमती खेलो पुत्री मंगल धर्मपत्नि बाबूलाल जाति माली, निवासी बल्लभगढ, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर (राज.)।

1/5. श्रीमती अंगूरी पुत्री मंगल धर्मपत्नी राधाकिशन, जाति माली, निवासी बल्लभगढ़, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर (राज.) ।

1/6. श्रीमती रूमाली पुत्री मंगल धर्मपत्नि शिवचरण, जाति माली, निवासी शेरपुर, तहसील हिण्डौन, जिला करौली (राज.)।

1/7. श्रीमती तुरसा पुत्री मंगल धर्मपत्नि बुद्धाराम जाति माली निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन, जिला करौली (राज.) ।

2. नत्थी पुत्र दीपचन्द जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली

3.	बाबूलाल	पिसरान बदरी, जाति जाटव, निवासी क्यारदा खुर्द,
4.	कल्याण	तहसील हिण्डौन, जिला करौली (राज.) ।
5.	सोहनलाल	
6.	विसराम	
7.	हरि	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

8. मुस. लच्छो | पुत्रीगण बदरी, जाति जाटव, निवासी क्यारदा खुर्द,
9. मुस. रोना | तहसील हिण्डौन, जिला करौली राजस्थान।
10. राधेश्याम पुत्र श्री बृजमोहन, जाति ब्राहम्ण निवासी क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज.)।
11. मु. केशन्ती पत्नि श्यामलाल, | जाति जाट, निवासी क्यारदा
12. मु. बिरमा देवी पत्नी रूपसिंह, | तहसील हिण्डौन, पट्टी
13. मु. फूलवती पत्नी सियाराम, | नारायणपुर,जिला करौली।
14. तहसीलदारजी, तहसील हिण्डौन सिटी (लैण्ड हॉल्डर) ————————प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरारहक, तकास्मा एवम् स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—1. श्री अशोक नीमनका एडवोकेट वादीगण
2. श्री पी0एल0 गोयल व श्री भगवानसहाय जैन एडवोकेट
गैरसायल सं0 1/1 ता 1/7

निर्णय

दिंनाक :—

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने संशोधित दावा बाबत इस्तकरार हक, तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं. 1 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 447 रकबा 71 ऐयर, खसरा नम्बर 448 रकबा 73 ऐयर, कुल किता 2, कुल रकबा 1.44 हैक्टेयर, ग्राम क्यारदा खुर्द, तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसका मौजूदा रेवन्यू रिकॉर्ड मंगल, दीपचन्द, कलुआ बहिस्सा 3/4, केशन्ती पत्नि श्यामलाल, बिरमा बेवा रूपसिंह, फूलवती पत्नि सियाराम, जाति जाट, निवासी पट्टीनारायणपुर 1/4 हिस्से में से 3/4 तथा यानि प्रत्येक बहिस्सा 1/16 तथा 1/16 का प्रतिवादी नम्बर 2 नत्थी रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 437 रकबा 31 ऐयर, खसरा नम्बर 445 रकबा 32 ऐयर, खसरा नम्बर 446 रकबा 1 ऐयर, गैरमुमकिन चाह, किता 3, कुल रकबा 64 ऐयर स्थित ग्राम क्यारदाखुर्द, तहसील हिण्डौन जिसका मौजूदा रेवन्यू रिकॉर्ड मंगल, दीपचन्द, कलुआ बहिस्सा 3/8, मुस. केशन्ती, बिरमादेवी व फूलवती बहिस्सा 1/8 व मृतक बद्री के वारिसान प्रतिवादी कल्याण, बाबूलाल, सोहनलाल पिसरान हरी एवं मुस. लच्छो व रीना पिसरान बदरी हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 483 रकबा 46 ऐयर, खसरा नम्बर 484 रकबा 37 ऐयर, खसरा नम्बर 485 रकबा 25 ऐयर, खसरा नम्बर 537 रकबा 81 ऐयर, कुल किता 4, कुल रकबा 1.89 हैक्टेयर स्थित ग्राम क्यारदा खुर्द जिसका मौजूदा रेवन्यू रिकॉर्ड राधेश्याम हिस्सा 60/133, मंगल, दीपचन्द व कलुआ बहिस्सा 3/4, केशन्ती, बिरामा व मुस. फूलवती हिस्सा बराबर दर हिस्सा 73/133 रेवन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है।

वाद पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि आराजी वर्णित मद नम्बर 1 ता 3 वाद पत्र साबिक खसरा नम्बर 295 रकबा 5 वीघा 3 विस्वा व खसरा नम्बर 297 रकबा 6 बीघा 13 विस्वा, किता 2 रकबा 11 बीघा 16 विस्वा एवं खसरा नम्बर 294/1 रकबा 1 बीघा 6 विस्वा, खसरा नम्बर 294/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, किता 2, रकबा 2 बीघा 11 विस्वा स्थित ग्राम क्यारदा खुर्द, तहसील हिण्डौन से बने है, जो वादी संख्या 1 व 2 के पिता श्योजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है।

वाद पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि वादीगण के पिता की मृत्यु के उपरान्त नामान्तकरण संख्या 249 तारीखी 27.07.1974 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने सरपंच से साज कर अपने नाम नामान्तकरण खुलवा लिया, जबकि नामान्तकरण पंजिका के कॉलम नम्बर 16 में नामान्तकरण दीपचन्द व कलुआ के नाम सही भरा गया, जिससे प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 की बदयांति साफ जाहिर है, जबकि वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 मंगल रामचरण का पुत्र है, जिसका इन्द्राज गांव क्यारदाखुर्द वार्ड नम्बर 6 की वोटर लिस्ट की क्रम संख्या 197 में मंगल पुत्र रामचरन है। इसी प्रकार प्रतिवादी नम्बर 2 नत्थी देवपाल की सन्तान है, जिसका इन्द्राज गांव क्यारदा खुर्द वार्ड नम्बर 6 की वोटर लिस्ट की क्रम संख्या 190 पर नत्थी पुत्र देवपाल है और इसी इन्द्राज के अनुसार प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के राशनकार्ड है।

वाद पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि नत्थी पुत्र देवपाल ने उक्त गलत इन्द्राज का बेजा लाभ उठाकर अपना खाता संख्या 192 में से 3/4 दर हिस्सा 1/4, व 193 व 258 के सम्पूर्ण हिस्से को प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 13 को बेच दिया, जबकि मौके पर आज भी सम्पूर्ण आराजी वर्णित मद नम्बर 1 ता 3 पर वादीगण नम्बर 1 व 2 काबिज व दखील है।

वाद पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि वादीगण को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 05.10.2006 को प्रतिवादी संख्या 1 एवं 11 ता 13 द्वारा यह कहने पर कि अबकी बार तुम्हारे हिस्से की आराजी में से आधे हिस्से की आराजीयात को हम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

काश्त करेंगे। उनको हमने अपने नाम काफी समय पूर्व सरपंच से करवा लिया है, जिस पर वादीगण ने हल्का पटवारी से सम्पर्क कर नकले आदि एकत्रित की तब प्रतिवादीगण की बदयांति खुलकर सामने आयी। इसलिए दावा दायर करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि बांका दिनांक 15.10.2006 को वादीगण अपने खेतों की अगली फसल के लिये तैयार कर रहे थे कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 व 11 ता 13 हाथों में लाठी डण्डा ले लेकर आ गये और कहने लगे कि वे खेत अब हमारे नाम है। इन्हें डण्डे के बल पर अब हम काश्त करेंगें। इस पर वादीगण ने समाज के प्रतिष्ठित लोगों को एकत्रित कर प्रतिवादीगण को समझाने का प्रयास किया, मगर वे किसी की एक मानने को तैयार नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी इस कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी।

वाद पत्र के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 15.10.2006 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत करने से बमुकाम ग्राम क्यारदा खुर्द, तहसील हिण्डौन इस सम्मानीय अदालत के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ है।

वाद पत्र के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि विनाय मुखास्मत निवास फरीकेन वस्थित भूमि विवादग्रस्त की दृष्टि से दावा हाजा की सुनवाई व समायत का अधिकार इस सम्मानीय अदालत को प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि दावा अन्दर मियाद पेश है तथा दावा हाजा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88, 53 व 188 के तहत पेश किया गया है।

वाद पत्र के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि दावा हाजा पर निश्चित कोर्ट फीस अदा की गयी है।

वाद पत्र के मद नं. 13 में दर्ज किया है कि वादीगण निम्न इस्तदुआ की प्रार्थना करते हैं

वाद पत्र के मद नं. 13 के उपमद 13(क) में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि आराजी खसरा नम्बर 447 व 448 किता 2 रकबा 1.44 हैक्टेयर वादीगण बहिस्सा बराबर खसरा नम्बर 437, 445, 446, किता 3, रकबा 64 ऐयर में वादीगण संख्या 1 व 2 बहिस्सा 1/2, खसरा नम्बर 483, 484, 485 व 536, किता 4, रकबा 1.89 हैक्टेयर में वादीगण संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के तन्हा खातेदार काश्तकार है एवं उक्त खसरा नम्बर में प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नम्बर 1 व 2 एवं 10 एवं 11 ता 13 का नाम हजफ फरमाया जाकर उक्त आशय का अमल दरामद सम्पूर्ण सरकारी रिकॉर्ड व कागजात पटवार में फरमाया जावें। प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 तथा 10 ता 13 का इन्द्राज गलत व अवनीसियों बोइड है, इसलिए हजफ फरमाया जावें।

वाद पत्र के मद नं. 13 के उपमद 13(ख) में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण प्राथमिक डिक्री फरमाया जाकर आराजी वर्णित मद नम्बर 1 ता 3 वाद पत्र खसरा नम्बर 447 व 448 वादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक बहिस्सा 1/2 खसरा नम्बर 437, 445, 446 में वादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक बहिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादीगण नम्बर 3 ता 9 बहिस्सा 1/2 एवं खसरा नम्बर 483, 484, 485, 537 में वादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक बहिस्सा बराबर की अलग अलग खातेदारी कायम कर वाद रिपोर्ट कमीशनर एवं प्राप्त होने बंटवारा स्कीम फाईनल डिक्री फरमाया जावें एवम् उपरोक्त आशय का अमल दरामद सम्पूर्ण कागजात पटवार में फरमाया जावें।

वाद पत्र के मद नं. 13 के उपमद 13(ग) में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावें कि वे आराजी वर्णित मद नम्बर 11 (क) खसरा नम्बर 447, 448, 437, 445, 446, 483, 485, 537 स्थित ग्राम क्यारदा खुर्द में वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करें। वादीगण का वेदखल नहीं करें, ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करें, ना किसी अन्य से करावें, जिससे हकूक वादीगण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

वाद पत्र के मद नं. 13 के उपमद 13(घ) में दर्ज किया है कि अन्य कोई दादरसी जो न्यायोचित बहक वादीगण हो वह भी अता फरमाई जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 12.02.2007 को प्रतिवादी सं01, 2, 10 ता 13 की ओर से श्री रमेश चन्द गुप्ता एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी सं03 ता 7 व 14 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। दिनांक 14.03.2022 को प्रतिवादी नं0 8 व 9 की बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

दिनांक 11.09.2007 को प्रतिवादी सं01, 2, 10 ता 13 ने जबावदावा पेश कर जबावदावा के मद नं01 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 1 में दर्ज आराजीयात बाडे ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन में स्थित होना व मौजूदा रेवन्यू रिकाडर्ड में मंगल,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दीपचन्द, कलुआ, केशन्ती, बिरमा, फूलवती रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी नं. 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होना एवं काबिज होना स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 2 में दर्ज आराजीयात व गैरमुमकिन चाह बाके ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन में व मौजूदा रेवन्यू रिकार्ड में मंगल, दीपचन्द, कलुआ व अन्य खातेदारान दर्ज होना स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 3 में दर्ज आराजीयात बाके ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन व मौजूदा रिकार्ड में राधेश्याम, मंगल, दीपचन्द व विरमा देवी व केशन्ती का नाम दर्ज होना स्वीकार है।

जबावदावा के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 4 गलत है, स्वीकार नहीं है। उतरा नम्बर 295 रकवा 5 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 297 रकवा 6 बीघा 13 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 11 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 294/1 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा, खसरा नम्बर 294/2 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 2 बीघा 11 विस्वा बाके ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है। उक्त आराजीयात की खातेदारी पूर्व में मन्नी पुत्र मंगला जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द के नाम थी जो प्रतिवादी नं. 1 व 2 के बाबा व वादीगण के बाबा लगते थे। यानि उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के बाबा मन्नी के नाम थी मन्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद उक्त आराजीयात की खातेदारी मन्नी के तीन लडके श्योजी, देवपाल व रामचन्द के नाम कनूनन होनी चाहिऐ थी मगर रेवन्यू अधिकारीयों की भूल के कारण उक्त आराजीयात की खातेदारी मन्नी के एक मात्र लड़का बडा होने के नाते व परिवाद का कर्ता खानदान होने के नाते श्योजी के नाम दर्ज हो गयी जो कानूनन उसी समय मन्नी के तीन लडके श्योजी, देवपाल व रामचन्द के नाम होनी चाहिऐ थी। प्रतिवादी नं. 1 के पिता का नाम रामचन्द था व प्रतिवादी नं. 2 नत्थी के पिता का नाम देवपाल था। परिवार में श्योजी, देवपाल, रामचन्द सामिल में रहते थे तीनों भाईयों में आपसी प्रेम था। प्रतिवादी नं. 1 के पिता रामचन्द व प्रतिवादी नं. 2 के पिता देवपाल अनपढ आदमी थे और कानून में भी नहीं समझते थे मगर आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 लगायत 3 में प्रतिवादी नं 1 व 2 के पिता का 1/3, 1/3 भाग था और उसी हिसाब से मौके पर काबिज थे और उसी 1/3, 1/3 हिसाब से आज भी मौके पर काबिज है। वादीगण के पिता श्योजी व प्रतिवादी नं. 1 के पिता रामचन्द व प्रतिवादी नम्बर 2 के पिता देवपाल का स्वर्गवास हो चुका है। विवादित आराजीयात पर वादीगण का 1/3 भाग पर व प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/3 भाग पर व प्रतिवादी नं. 2 का 1/3 भाग पर मौके पर कब्जा काश्त आज दिन तक बना हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबावदावा के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 5 में वादीगण के पिता व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद नामान्तकरण संख्या 249 दिनांक 27.04.1974 को मजूमे आम में बमौजूदगी वादीगण, सरपंच ग्राम पंचायत क्यारदा खुर्द में विवादित आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 लगायत 3 का नामान्तकरण वादीगण व प्रतिवादी नं. 1, 2 के हक में सही दर्ज किया था मगर सरपंच ग्राम पंचायत क्यारदा खुर्द ने प्रतिवादी नं. 1 व 2 के पिता का नाम देवपाल व रामचन्द की बजाय श्योजी गलत दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादी नं. 1 के पिता का नाम रामचन्द व प्रतिवादी नं. 2 के पिता का नाम देवपाल व वादीगण के पिता का नाम श्योजी होना चाहिऐ था। नामान्तकरण भरते समय वादीगण ने कोई आपत्ती पत्र सरपंच ग्राम पंचायत क्यारदा खुर्द के समक्ष पेश नहीं किया और नामान्तकरण संख्या 249 दिनांक 27.04.1974 की अनुपालना में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी नं. 1, 2 के नाम दर्ज कर दी। प्रतिवादीगण के दिल में कोई बदयान्ति नहीं है बल्कि वादीगण के दिल में बदयान्ति आ गयी है और वे येन केन प्रकारेण प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 लगायत 3 वादपत्र से बेदखल करने पर उतारू है और इसी बदयान्ति के कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ उक्त दावा पेश कर दिया है। वादीगण ने प्रतिवादीगण के हक में सन् 1974 में नामान्तकरण हो जाने के बाद करीब 32 साल बाद खातेदारी का इन्द्राज रेवन्यू रिकार्ड में हो जाने के उपरान्त व मौके पर काबिज रहते हुऐ 32 साल बाद उक्त गलत दावा प्रतिवादीगण को नाजायज परेशान करने की गरज से कतई झूंठा पेश किया गया है।

जबावदावा के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 6 में प्रतिवादी नं. 2 नत्थी द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 को करीब 5–7 साल पूर्व जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया था और विक्रित धनराशि प्राप्त कर ली थी और उसी दिन मौके पर प्रतिवादी नं. 2 ने अपने हिस्से की आराजीयात पर प्रतिवादी नं. 4, 5, 6 का भौतिक रूप से कब्जा करा दिया जो आज दिन तक मौके पर चला आ रहा है। प्रतिवादी नम्बर 2 के हिस्से से वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं था और नाही आज दिन है। बल्कि प्रतिवादी नं 2 के हिस्से पर प्रतिवादी नं. 4, 5, 6 काबिज एवं दखील है और साल दर साल अपनी खरीदशुदा जमीन को जोतते बोते चले आ रहे है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादी नम्बर 4, 5, 6 के हक में खातेदारी हो चुकी है। इस प्रकार वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ गलत दावा पेश कर दिया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबावदावा के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 7 गलत है, स्वीकार नहीं है। उक्त मद में वादीगण ने कतई गलत व झूंठे तथ्य दर्ज किये है। नामान्तकरण तारीख 27.04.1974 का वादीगण को इल्म उसी दिन से है। नामान्तकरण भरते समय वादीगण मौजूद थे। उक्त मद में वादीगण का यह दर्ज करना कि वादीगण को गलत इन्द्राज की जानकारी दिनांक 05.10.2006 को यानि 32 साल बाद हुई कहना कतई गलत है।

जबावदावा के मद नं. 8 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 8 गलत है, स्वीकार नहीं है। वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच दिनांक 15.10.2006 को यानि अन्य किसी दिन इस मद में दर्ज कोई बातचीत नहीं हुई उक्त मद में वादीगण ने एक दम गलत व झूठें एवं मनगढन्त तथ्य दर्ज किये है। वादीगण को बखिलाफ प्रतिवादीगण दिनांक 15. 10.2006 को या अन्य किसी दिन कोई विनाय दावा पैदा नहीं हुई। दावा वादीगण म्याद बाहर पेश किया गया है और इसी बिना पर दावा वादीगण काबिले इखराज है।

जबावदावा के मद नं. 9 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 9 गलत है, स्वीकार नहीं है। दिनांक 15.10.2006 को वादीगण को बखिलाफ प्रतिवादीगण कोई विनाय दावा पैदा नहीं हुई।

जबावदावा के मद नं. 10 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 10 कानूनी है मोहताज जबाव नहीं है।

जबावदावा के मद नं. 11 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 11 गलत है, स्वीकार नहीं है। दावा हाजा म्याद बाहर पेश किया गया है।

जबावदावा के मद नं. 12 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 12 कानूनी है मोहताज जबाव नहीं है।

जबावदावा के मद नं. 13 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 13 के उपमद क, ख, ग, घ गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। वादीगण बखिलाफ प्रार्थी प्रतिवादीगण कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। दावा हाजा हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है।

<u>उज्रात मजीद</u>

जबावदावा के मद नं. 14 में दर्ज किया है कि विवादित आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 ता 3 व 4 के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है कानूनन रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबावदावा के मद नं. 15 में दर्ज किया है कि विवादित आराजीयात बाके ग्राम क्यारदा खुर्द व आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 ता 4 वादपत्र के 1/3 भाग पर वादीगण व 1/3 भाग पर प्रतिवादी न. 1 तथा 1/3 भाग पर प्रतिवादी नं. 2, 10, 11, 12, 13 काबिज काश्त है और हर साल अपने अपने हिस्से को जोतते बोते चले जा रहे है। इस साल भी प्रतिवादी नम्बर 10, 11, 12, 13 ने सरसों की फसल काश्त की थी वो पकने के बाद प्रतिवादी नं, 2, 10, 11, 12, 13 ने काटी थी। रिकार्डेड खातेदार के बीच आपस में विवादित आराजीयात का 30–35 साल पूर्व आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा हो गया था और मौके पर डॉल मेड डाल ली थी और अपने 1/3, 1/3 हिस्से पर सभी खातेदार काश्तकार काबिज है। वादीगण का प्रार्थी प्रतिवादीगण के हिस्से की जमीन से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है और नाही कब्जा है। कब्जा के अभाव में दावा वादीगण काबिले इखराज है। दावा हाजा वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ कतई गलत पेश किया है।

जबावदावा के मद नं. 16 में दर्ज किया है कि दावा हाजा वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ बिना कब्जे के पेश कर दिया है। वादीगण मुकदमा हाजा में कोई दादरसी पाने के अधिकारी नहीं है। दावा वादीगण हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जबाव दावा पेश कर निवेदन किया है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे एवं हर्जा खास वादीगण से प्रतिवादीगण को दिलाया जावे।

प्रतिवादीगण नम्बर 1 /1 ता 1/7 ने संशोधित जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर जबाव दावा के मद नम्बर 1 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नम्बर 1 में दर्ज आराजीयात बाके ग्राम क्यारदा खुर्द, तहसील हिण्डौन में स्थित होना व मौजूदा रेवन्यू रिकॉर्ड में मंगल, दीपचन्द, कलुआ, केशन्ती, बिरमा, फूलवती रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व प्रतिवादी नम्बर 2 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार होना एवं काबिज होना स्वीकार है।

जबाव दावा के मद नम्बर 2 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नम्बर 2 में दर्ज आराजीयात व गैरमुमकिन चाह वाके ग्राम क्यारदा खुर्द, तहसील हिण्डौन में मौजूदा रेवन्यू रिकॉर्ड में मंगल, दीपचन्द, कुलआ व अन्य खातेदारान दर्ज होना स्वीकार है।

जबाव दावा के मद नम्बर 3 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नम्बर 3 में दर्ज आराजीयात वाके ग्राम क्यारदा खुर्द, तहसील हिण्डौन में मौजूदा रिकॉर्ड में राधेश्याम, मंगल, दीपचन्द व विरमा देवी व केशन्ती का नाम दर्ज होना स्वीकार है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव दावा के मद नम्बर 4 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 4 गलत है, स्वीकार नहीं है। खसरा नम्बर 295 रकबा 5 वीघा 3 विस्वा, खसरा नम्बर 297 रकबा 6 वीघा 13 विस्वा, कुल किता 2, कुल रकबा 11 बीघा 16 विस्वा व खसरा नम्बर 294/1 रकबा 1 वीघा 6 विस्वा तथा खसरा नम्बर 294/2 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा, कुल किता 2, कुल रकबा 2 बीघा 11 विस्वा वाके ग्राम क्यारदा खुर्द, तहसील हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है। उक्त आराजीयात की खातेदारी पूर्व में मन्नी पुत्र मंगला, जाति माली, निवासी क्यारदा खुर्द के नाम थी, जो प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के बाबा व वादीगण के बाबा लगते थे। यानि उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के बाबा मन्नी के नाम थी। मन्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद आराजीयात की खातेदारी मन्नी के तीन लड़के श्योजी, देवपाल व रामचन्द के नाम कानूनन होनी चाहिए थी। मगर रेवन्यू अधिकारीयों की भूल के कारण उक्त आराजीयात की खातेदारी मन्नी के एक मात्र लड़का बड़ा होने के नाते व परिवार का कर्ता खानदान होने के नाते श्योजी के नाम दर्ज हो गई, जो कानूनन उसी समय मन्नी के तीन लड़के श्योजी, देवपाल व रामचन्द्र के नाम होनी चाहिए थी। प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता का नाम रामचन्द्र था तथा प्रतिवादी नम्बर 2 के पिता का नाम देवपाल था। परिवार में श्योजी, देवपाल व रामचन्द्र शामिल में रहते थे। तीनों भाइयों में आपसी प्रेम था। प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता रामचन्द्र व प्रतिवादी नम्बर 2 के पिता देवपाल अनपढ़ आदमी थे और कानून में भी नहीं समझते थे। मगर आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 लगायत 3 वाद पत्र में प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 के पिता का 1/3, 1/3 भाग था और उसी हिसाब से मौके पर काबिज थे और उसी 1/3, 1/3 हिसाब से आज भी मौके पर काबिज है। वादीगण के पिता श्योजी व प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता रामचन्द्र, प्रतिवादी नम्बर 2 के पिता देवपाल का स्वर्गवास हो चुका है। विवादित आराजीयात पर वादीगण का 1/3 भाग पर व प्रतिवादी नम्बर 1 का हिस्सा 1/3 भाग पर व प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/3 भाग पर मौके पर कब्जाकाश्त आज दिन तक बना हुआ है। उसी प्रकार प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 अपने नाम आराजीयात मुतदाविया के 1/3 1/3 हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने के मुश्तहक है।

जबाव दावा के मद नम्बर 5 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नम्बर 5 में वादीगण के पिता व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के पिता का स्वर्गवास हो जाने के बाद नामान्तकरण संख्या 249, दिनांक 27.04.1974 को मजमें आम व मौजूदगी वादीगण सरपंच ग्राम पंचायत क्यारदा खुर्द में विवादित आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 लगायत 3 वाद पत्र का नामान्तकरण वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के हक में सही दर्ज किया था। मगर सरपंच ग्राम पंचायत क्यारदा खुर्द ने प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के पिता का

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नाम देवपाल व रामचन्द्र की बजाय श्योजी गलत दर्ज कर दिया, जबकि प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता का नाम रामचन्द्र व प्रतिवादी नम्बर 2 के पिता का नाम देवपाल व वादीगण के पिता का नाम श्योजी होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त वादीगण ने अल्टीरियर मोटिव से आराजीयात मुतदाविया के नामान्तकरण में अपना नाम 1/2 हिस्से में तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का नाम 1/4 1/4 हिस्से में दर्ज करवा दिया, जबकि कानूनन वादीगण का नाम 1/3 हिस्से में तथा प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम 1/3 हिस्से एवं प्रतिवादी नम्बर 2 का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त नामान्तकरण भरते समय वादीगण ने कोई आपत्ती पत्र सरपंच ग्राम पंचायत क्यारदा खुर्द के समक्ष पेश नहीं किया और नामान्तकरण संख्या 249, दिनांक 27.04.1974 की अनुपालना में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी। प्रतिवादीगण के दिल में कोई बदयान्ती नहीं है और बल्कि वादीगण के दिल में बदयान्ती आ गई और येन केन प्रकारेन प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 को आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 लगायत 3 वाद पत्र से बेदखल करने पर उतारू है और इसी बदयान्ती के कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ उक्त दावा पेश कर दिया। वादीगण ने प्रतिवादीगण के हक में सन् 1974 में नामान्तकरण हो जाने के बाद करीब 32 साल बाद खातेदारी का इन्द्राज रेवन्यू रिकॉर्ड में हो जाने के उपरान्त व मौके पर काबिज रहते हुए 32 साल बाद उक्त गलत दावा प्रतिवादीगण को नाजायज परेशान करने की गरज से कतई झूठा पेश किया गया है।

जबाव दावा के मद नम्बर 6 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नम्बर 6 में प्रतिवादी नम्बर 2 नत्थी द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6 को करीब 5 7 साल पूर्व जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र बेचान कर दिया था और विक्रित धन राशि प्राप्त कर ली थी और उसी दिन मौके पर प्रतिवादी नम्बर 2 ने अपने हिस्से की आराजीयात पर प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6 का भौतिक रूप से कब्जा करा दिया जो आज दिन तक मौके पर चला आ रहा है। प्रतिवादी नम्बर 2 के हिस्से से वादीगण का कोई सम्बन्ध नहीं था और नाही आज दिन है, बल्कि प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से पर प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6 काबिज व दखील है और साल दर साल अपनी खरीदशुदा जमीन को जोतते बोते चले आ रहे है और रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर प्रतिवादीगण नम्बर 4, 5, 6 के हक में खातेदारी हो चुकी है। इस प्रकार वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ गलत दावा पेश कर दिया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव दावा के मद नम्बर 7 में दर्ज किया है कि वाद पत्र का मद नम्बर 7 गलत है स्वीकार नहीं है। उक्त मद में वादीगण ने कतई गलत एवं झूठे तथ्य दर्ज किये है। नामान्तकरण तारीख 27.04.1974 का वादीगण को इल्म उसी दिन से है। नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ता 1 /7, 1 /6 हिस्से के तथा वादीगण 1 /6 हिस्से के तथा प्रतिवादी नम्बर 2, 1 /6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 13 को विक्रय की गई भूमि को प्रतिवादी नम्बर 2 के हिस्से से अलग कर उस भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 13 के नाम दर्ज फरमाई जाकर इसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जावें।

जबाव दावा के मद नम्बर 14 में दर्ज किया है कि विवादित आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 ता 3 व 4 वाद पत्र के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार रहे है, कोई रिकॉर्डेड खातेदार के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है।

जबाव दावा के मद नम्बर 15 में दर्ज किया है कि विवादित आराजीयात बाके ग्राम क्यारदा खुर्द व आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 ता 4 वाद पत्र के 1/3 भाग पर वादीगण व 1/3 प्रतिवादी नम्बर 1 तथा 1/3 भाग पर प्रतिवादीगण नम्बर 2, 10, 11, 12 व 13 काबिज काश्त है. और हर साल अपने अपने हिस्से को जोतते बोते चले आ रहे है। इस साल भी प्रतिवादीगण नम्बर 10, 11, 12 व 13 ने सरसों की फसल काश्त की थी, जो पकने के बाद प्रतिवादीगण नम्बर 2, 10, 11, 12 व 13 ने कोटी थी। रिकॉर्डेड खातेदार के बीच आपस में विवादित आराजीयात का 30 33 साल पूर्व आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा हो गया था और मौके पर डौलमेड डाल दी थी और अपने 1/3, 1/3 हिस्से पर सभी खातेदार काश्तकार काबिज है। वादीगण का प्रार्थी प्रतिवादीगण के हिस्से की जमीन से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है और नाही कब्जा है और कब्जा के अभाव में दावा वादीगण काबिले इखराज है। दावा हाजा वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ कतई गलत पेश किया है। इसलिए प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 आराजीयात मुतदाविया की खातेदारी में अपना नाम 2/3 हिस्से में दर्ज कराने के मुश्तहक है तथा वादीगण का नाम भी 1/3 हिस्से में दर्ज होना चाहिए।

जबाव दावा के मद नम्बर 16 में दर्ज किया है कि दावा हाजा वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ बिना कब्जे के पेश कर दिया है। वादीगण मुकदमा हाजा दादरसी पाने के अधिकारी नहीं है। दावा वादीगण हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है।

अतः संशोधित जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1/1 ता 1/7 का काउन्टर क्लेम डिक्री फरमाया जाकर इस अम्र की घोषणा की जावें कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1, 2 व 3 वाद पत्र की खातेदारी के खाने में मंगल की बल्दियत श्यौजी के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज की जावें तथा आराजीयात खसरा नम्बर 447, 448 वाके ग्राम क्यारदा खुर्द मुतजिक्रा मद

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नम्बर 1 वाद पत्र तथा आराजीयात खसरा नम्बर 483, 484, 485 व 536 मुतजिक्रा मद नम्बर 3 वाद पत्र में प्रतिवादीगण नम्बर 1/1 ता 1/7, 1/3 हिस्से के तथा वादगण 1/3 हिस्से के तथा प्रतिवादी नम्बर 2, 1/3 हिस्से का तथा आराजीयात खसरा नम्बर 437, 445, 446 मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वाद पत्र में प्रतिवादीगण नम्बर 1/1 ता 1/7, 1/6 हिस्से के तथा वादीगण 1/6 हिस्से के तथा प्रतिवादी नम्बर 2, 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 द्वारा प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 13 को विक्रय की गई भूमि को प्रतिवादी नम्बर 2 के हिस्से से अलग कर उस भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 11 ता 13 के नाम दर्ज फरमाई जाकर इसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाया जावें।

दावा एवं जबावदावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1. आया आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 4 वाद पत्र साबिक में वादीगण के पिता श्योजी की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की आराजीयात रही है।

2. आया आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 295 रकबा 5 वीघा 3 विस्वा, खसरा नम्बर 297 रकबा 6 वीघा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 294/1 रकबा 1 वीघा 6 विस्वा तथा खसरा नम्बर 294/2 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा वाके ग्राम क्यारदा खुर्द, तहसील हिण्डौन की खातेदारी साबिक में मन्नी पुत्र मंगला, जाति माली, निवासी क्यारदाखुर्द के नाम दर्ज थी। उक्त मन्नी की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि की खातेदारी उसके तीन लड़के श्योजी, देवपाल एवं रामचन्द्र के नाम होनी चाहिए थी, लेकिन रेवन्यू अधिकारीयों की भूल के कारण उसकी खातेदारी केवल उसके बड़े पुत्र श्योजी के नाम दर्ज हो गयी।

3. आया आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 4 वाद पत्र के वादीगण 1/3 हिस्से के, प्रतिवादी नम्बर 1 मंगल 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी नम्बर 2 नत्थी 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा उसी अनुरूप खातेदारी में अपना नाम दर्ज कराने के मुश्तहक है।

4. आया नामान्तकरण संख्या 249, तारीखी 27.04.1974 में प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के पिता का नाम देवपाल व रामचन्द्र की बजाय श्योजी गलत दर्ज कर दिया गया था।

5. आया आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 4 वाद पत्र के खातेदारी के खाने में वादीगण ने अल्टीरियर मोटिव से अपना नाम 1/2 हिस्से में तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

का नाम 1/4, 1/4 हिस्से में दर्ज करवा दिया जबकि वादीगण का नाम 1/3 हिस्से में तथा प्रतिवादी नम्बर 1 मंगल पुत्र रामचन्द्र का नाम 1/3 हिस्से में तथा प्रतिवादी नम्बर 2 नत्थी पुत्र देवपाल का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज होना चाहिए था।

6. आया प्रतिवादीगण नम्बर 1/1 ता 1/7 आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1, 2 व 3 वाद पत्र की खातेदारी के खानें में मंगल की बलदियत श्योजी के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज कराने के अधिकारी है।

7. आया आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 व 3 वाद पत्र में प्रतिवादीगण नम्बर 1/1 ता 1/7 का 1/3 हिस्सा, वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/3 हिस्सा उसी अनुरूप वे राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराने के अधिकारी है।

8. आया आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वाद पत्र में वादीगण, 1 /6 हिस्से के, प्रतिवादी नम्बर 1/1 ता 1/7, 1/6 हिस्से के तथा प्रतिवादी नम्बर 2, 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 10, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा उसी अनुरूप उक्त भूमि की खातेदारी के खाने में नाम अंकन कराकर उसी अनुरूप उक्त भूमि का तकास्मा कराने के अधिकारी है।

9. दादरसी

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं. 2059–62, नकल जमाबन्दी सं. 2020– 23, नकल जमाबन्दी सं. 2036–39, नकल नामान्तकरण सं0 249 दिनांक 27.04.1974, नकल जमाबन्दी सं0 2030–33, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2046–66, फोटो प्रति पंचायत मतदाता सूची 2004, पेश किये हैं तथा जुवानी सहादत में प्रभू पुत्र दीपचन्द जाति माली निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली ने शपथ पत्र पेश किया है।

इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 किता 4, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी सं0 2036–39, नकल जमाबन्दी सं0 2051–54, नकल नामान्तकरण सं0 249 दिनांक 27.04.1974, नकल हिण्डौन (77) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली, 1971 भाग सं0 16 ग्राम क्यारदाखुर्द , सरपंच ग्राम पंचायत क्यारदाखुर्द पंचायत समिति हिण्डौन द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र, सत्यनारायण जागा की वंशावली लिखावट सम्बत् 2041, कर्ता ज्योतिर्विद रामबल्लभ भारद्वाज रेल्वे रोड सोरों (शकूर क्षेत्र) कांशीरामनगर उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 17.08.2018 को जारी सजरा प्रमाण पत्र , नकल मिसल हकियत बन्दोवस्ती सम्बत् 1984 मौजा क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन, नकल रजिस्टर सं0 1990–99, नकल रजिस्टर चकबन्दी सं0 1990–99, पेश किये

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हैं तथा जुवानी सहादत में प्रतिवादी भागमल पुत्र मंगल जाति माली निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली का शपथ पत्र पेश कर बयान दर्ज कराये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण ने दौरारने बहस जबावदावा मय काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा खारिज किये जाने एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। जिसके आधार पर उक्त प्रकरण में कायम की गई तनकीयात का निर्णय निम्नानुसार किया जाता है :–

निर्णय तनकी नं01 :– आया आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 4 वाद पत्र साबिक में वादीगण के पिता श्योजी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजीयात रही है। इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण के जिम्मे है। जिसको साबित करने के लिए वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं. 2059–62 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 447 रकबा 0.71 है0, 448 रकबा 0.73 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.44 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी मंगल, दीपचन्द, कलुवा पि0 श्योजी हि0 3/4, जाति माली, केशन्ती पत्नि श्यामलाल विरमादेवी पत्नि वेवा रूपसिंह फूलवती पत्नि सियाराम जाति जाट निवासी पट्टीनारायण हि0 3/4, नत्थी पुत्र श्योजी हि0 1/4 दर हिस्सा 1/4 जाति माली निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं. 2059–62 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 437 रकबा 0.31 है0, 445 रकबा 0.32 है0, 446 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.64 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी मंगल, दीपचन्द, कलुवा पि0 श्योजी जाति माली हि0 3/8 जाति माली, केशन्ती पत्नि श्यामलाल विरमादेवी पत्नि वेवा रूपसिंह फूलवती पत्नि सियाराम जाति जाट हि0ब0हि0 1/8 निवासी पट्टीनारायण बदरी पुत्र पूरना हि0 1/2 जाति जाटव निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 467–विरासत–दिनांक 05.07.2006 से बदरी मृतक के बजाय हि0 1/2 की खातेदारी कल्याणप्रसाद बाबूलाल सोहनलाल विश्राम हरि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पि0 बदरी लच्छो रोना पुत्रियॉ बदरी जाति जाटव वहिस्सा बराबर हि0 1/2 निवासी ग्राम के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं. 2059–62 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 483 रकबा 0.46 है0, 484 रकबा 0.37 है0, 485 रकबा 0.25 है0, 537 रकबा 0.81 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.89 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी राधेश्याम पुत्र बृजमोहनलाल जाति ब्राहम्ण हि0 60/133, मंगल, दीपचन्द, कलुवा पि0 श्योजी जाति माली हि0 3/4 समभाग निवासी ग्राम, केशन्ती पत्नि श्यामलाल विरमादेवी पत्नि वेवा रूपसिंह फूलवती पत्नि सियाराम जाति जाट हि0ब0हि0 1/4 दर हिस्सा 73/133 निवासी पट्टीनारायण के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं. 2020– 23 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 295 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 297 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी श्योजी पुत्र मन्नी जाति माली निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं. 2020– 23 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 266 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी घमण्डी पुत्र चुन्नी हिस्सा आठ आना, श्योजी पुत्र भोली हिस्सा आठ आना जाति चमारान निवासी ग्राम के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं. 2036–39 के अनुसार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 295 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा, 297 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी मंगल, दीपचन्द, कलुवा नत्थी पि0 श्यौजी जाति माली निवासी ग्राम समभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 545 दिनांक 07.02.1943 के द्वारा खसरा नम्बर 297 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा के हिस्सा 60/133 की खातेदारी राधेश्याम पुत्र श्री बृजमोहन ब्राहम्ण के नाम स्वीकार हुई। शेष हिस्सा 73/133 मंगल वगैराह बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है।

नकल नामान्तकरण सं0 249 दिनांक 27.04.1974 के अनुसार खाता सं0 192 कुल किता 2 कुल रकबा 11 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम क्यारदाखुर्द के खातेदार श्योजी पुत्र मन्नी जाति माली के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तकरण में पटवारी हल्का के द्वारा श्योजी के दो लडके दीपचन्द कलुवा पि0 श्यौजी जाति माली निवासी ग्राम हिस्सा बराबर, तथा खाता संख्या 193 कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा वाके ग्राम क्यारदाखुर्द के खातेदार श्योजी पुत्र मन्नी जाति माली के फौत होने पर उसकी विरासत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

का नामान्तकरण में पटवारी हल्का के द्वारा श्योजी के दो लडके दीपचन्द कलुवा पि0 श्यौजी हि0 1/2, माझी व बदरी पुत्र पूरना बदस्तूर हि0 1/2 निवासी ग्राम के नाम भरा गया था तथा सरपंच ग्राम पंचायत ने उक्त नामान्तकरण दिनांक 27.04.1974 को तस्दीक करते हुए अंकित किया है कि आज पंचायत के समक्ष नामान्तकरण पेश हुआ। श्योजी माली खातेदार फौत हो चुका है, जिसके चार लडके हैं, जिसके नाम दीपचन्द, कलुआ, मांझी व नत्थी पुत्रान श्यौजी माली मौजूद हैं और पर यही काबिज हैं। अतः खातेदारी श्योजी के बजाय दीपचन्द कलुवा मंगल नत्थी पि0 श्यौजी माली के नाम स्वीकार है। पटवारी कागजात में अमल करें।

नकल जमाबन्दी सं0 2030–33 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 294/1 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 294/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा की खातेदारी श्योजी पुत्र मन्नी जाति माली व पूरना पुत्र चेता जाति चमार निवासी ग्राम समभाग के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 189 से पूरना मृतक खातेदार के बजाय बदरी पुत्र पूरना इन्द्राज तब्दील किया गया।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल सं0 2046–66 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर से दौराने सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर निम्नानुसार कायम किये गये :–

साबिक खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
295 मिन	–	447	0.71
295 मिन	–	448	0.73
277 मिन	–	436	0.25
294 मिन	1 बीघा 5 बिस्वा	445	0.32
294 मिन	–	446	0.01
297 मिन	–	483	0.46
297 मिन	–	484	0.37
297 मिन	–	485	0.25
315 मिन	–	536	0.36

फोटो प्रति पंचायत मतदाता सूची 2004 ग्राम क्यारदाखुर्द वार्ड नं06 के क्रम संख्या 209 पर कलुआ पुत्र सौजी का नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

इसके विपरीत वकील प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 विवादित आराजी खसरा नम्बर 446 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी कल्याणप्रसाद पुत्र बदी हि0 1/10 जाति जाटव सा0 ग्राम, केशन्ती पत्नि श्यामलाल हि0 1/24 जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर, गोमा पुत्री कलुवा हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, नथिया पत्नि स्व0 दीपचन्द हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, पांची पुत्री कलुवा हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, फूलवती पुत्री दीपचन्द हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, फूलवती पत्नि सियाराम हि0 1/24 जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर, बाबूलाल पुत्र बदरी हि0 1/10 जाति जाट सा.ग्राम, बाबूलाल पुत्र दीपचन्द हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, भरोसी पुत्र कलुवा हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, मंगल पुत्र श्योजी हि0 1/8 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, राजाराम पुत्र दीपचन्द हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, राधामोहन पुत्र दीपचन्द हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, रामखिलाडी पुत्र दीपचन्द हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, वासुदेव पुत्र कलुवा हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर,विरमादेवी पत्नि रूपसिंह हि0 1/24 जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर, विश्राम पुत्र बदरी हि0 1/10 जाति जाटव सा.ग्राम, सुक्को पुत्री कलुवा हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, सुफेदी पुत्री दीपचन्द हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, सोहनलाल पुत्र बदरी हि0 1/10 जाति जाटव सा. ग्राम, हरि पुत्र बदरी हि0 1/10 जाति जाटव सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 विवादित आराजी खसरा नम्बर 483 रकबा 0.46 है0, 484 रकबा 0.37 है0, 485 रकबा 0.25 है0, 537 रकबा 0.81 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.89 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी केशन्ती पत्नि श्यामलाल हि0 73/1596 जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर, गोमा पुत्री कलुवा हि0 73/3192 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, नथिया पत्नि स्व0 दीपचन्द हि0 73/3192 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, पांची पुत्री कलुवा हि0 73/3192 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर,फूलवती पुत्री दीपचन्द हि073/3192 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, फूलवती पत्नि सियाराम हि073/1596 जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर, बृजमोहन पुत्र विहारी हि0 60/133 जाति ब्राहम्ण सा. ग्राम, बाबूलाल पुत्र दीपचन्द हि0 73/3192 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, भरोसी पुत्र कलुवा हि0 73/3192 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, मंगल पुत्र श्योजी हि0 73/532 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, राजाराम पुत्र दीपचन्द हि0 73/3192 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, राधामोहन पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दीपचन्द हि0 73/3192 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, रामखिलाडी पुत्र दीपचन्द हि0 73/3192 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, वासुदेव पुत्र कलुवा हि0 73/3192 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, विरमादेवी पत्नि रूपसिंह हि0 73/1596 जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर, सुक्को पुत्री कलुवा हि0 73/3192 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, सुफेदी पुत्री दीपचन्द हि0 73/3192 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 विवादित आराजी खसरा नम्बर 447 रकबा 0.71 है0, 448 रकबा 0.73 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.44 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी केशन्ती पत्नि श्यामलाल हि0 1/16 जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर, गोमा पुत्री कलुवा हि0 1/24 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, नत्थी पुत्र श्योजी हि0 1/16 जाति माली सा.ग्राम, नथिया पत्नि स्व0 दीपचन्द हि0 1/24 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, पांची पुत्री कलुवा हि0 1/24 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, फूलवती पुत्री दीपचन्द हि0 1/24 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, फूलवती पत्नि सियाराम हि0 1/24 जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर, बाबूलाल पुत्र दीपचन्द हि0 1/24 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, भरोसी पुत्र कलुवा हि0 1/24 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, मंगल पुत्र श्योजी हि0 1/4 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, राजाराम पुत्र दीपचन्द हि0 1/24 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, राधामोहन पुत्र दीपचन्द हि0 1/24 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, रामखिलाडी पुत्र दीपचन्द हि0 1/24 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, वासुदेव पुत्र कलुवा हि0 1/24 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, विरमादेवी पत्नि रूपसिंह हि0 1/16 जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर,सुक्को पुत्री कलुवा हि0 1/24जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, सुफेदी पुत्री दीपचन्द हि0 1/24 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 विवादित आराजी खसरा नम्बर 437 रकबा 0.31 है0, 445 रकबा 0.32 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी कल्याणप्रसाद पुत्र बदी हि0 1/10 जाति जाटव सा0 ग्राम, केशन्ती पत्नि श्यामलाल हि0 1/24 जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर, गोमा पुत्री कलुवा हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, नथिया पत्नि स्व0 दीपचन्द हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, पांची पुत्री कलुवा हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, फूलवती पुत्री दीपचन्द हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, फूलवती पत्नि सियाराम हि0 1/24 जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर, बाबूलाल पुत्र बदरी हि0 1/10

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जाति जाटव सा.ग्राम,बाबूलाल पुत्र दीपचन्द हि01/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, भरोसी पुत्र कलुवा हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, मंगल पुत्र श्योजी हि0 1/8 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, राजाराम पुत्र दीपचन्द हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, राधामोहन पुत्र दीपचन्द हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर,रामखिलाडी पुत्र दीपचन्द हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, रामदेई पत्नि भागसिंह हि0 1/10 जाति जाटव सा.ग्राम, वासुदेव पुत्र कलुवा हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, विरमादेवी पत्नि रूपसिंह हि0 1/24 जाति जाट निवासी पट्टीनारायणपुर, सुक्को पुत्री कलुवा हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, सुफेदी पुत्री दीपचन्द हि0 1/48 जाति माली निवासी पट्टीनारायणपुर, सोहनलाल पुत्र बदरी हि0 1/10 जाति जाटव सा. ग्राम, हरि पुत्र बदरी हि0 1/10 जाति जाटव सा. ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बर से दौराने सेटिलमेन्ट हाल खसरा नम्बर निम्नानुसार कायम किये गये :–

साबिक खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर में
294 मिन		446	0.01
294 मिन	1 बीघा 5 बिस्वा	445	0.32
295 मिन	–	447	0.71
295 मिन	–	448	0.73
294 मिन	1 बीघा 5 बिस्वा	437	0.31
297 मिन	–	483	0.46
297 मिन	–	484	0.37
297 मिन	–	485	0.25
297 मिन	6 बीघा 13 बिस्वा	537	0.81

नकल जमाबन्दी सं0 2051–54 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 447 रकबा 0.71 है0, 448 रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी मंगल दीपचन्द नत्थी कलुवा पि0 श्योजी जाति माली समभाग निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2051–54 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 437 रकबा 0.31 है0, 445 रकबा 0.32 है0, 446 रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तहसील हिण्डौन की खातेदारी मंगल दीपचन्द नत्थी कलुवा पि0 श्योजी जाति माली हि0 3/4 समभाग, बदरी पुत्र पूरना हि01/4 जाति जाटव निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल हिण्डौन (77) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की नामावली, 1971 भाग सं0 16 ग्राम क्यारदाखुर्द के अनुसार कम संख्या 548 मकान नं0 132 पर देवलाल पुत्र मन्नी, कम संख्या 549 मकान नं0 132 पर मंगल पुत्र रामचन्द, कम संख्या 550 मकान नं0 132 पर कला पत्नि मंगल, कम संख्या 551 मकान नं0 132 पर रामचन्द पुत्र मन्नी दर्ज रिकार्ड है।

सरपंच ग्राम पंचायत क्यारदाखुर्द पंचायत समिति हिण्डौन द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार मन्नी पुत्र मंगला माली के वारिस श्योजी, देवपाल, रामचन्द माली है। श्योजी के वारिस– दीपचन्द, कलुआ माली हैं। देवपाल के वारिस नत्थी माली है, रामचन्द के वारिस मंगल माली है।

सत्यनारायण जागा की वंशावली लिखावट सम्बत् 2041 के अनुसार मंगला के तीन लडके परमा, मंनी, वंशी हैं। मन्नी के श्योजी, रामचन्द, देवपाल हैं। श्योजी के हरभान दीपचन्द, कलुआ हैं, देवपाल के नत्थी, रामचन्द के मंगल, डूंगजी हैं।

कर्ता ज्योतिर्विद रामबल्लभ भारद्वाज रेल्वे रोड सोरों (शकूर क्षेत्र) कांशीरामनगर उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 17.08.2018 को जारी सजरा प्रमाण पत्र में सम्पति के दो लडके कुटनी, मंगला तथा मंगला के दो लडके मन्नी, वंशी तथा मन्नी के श्योजी पत्नि कल्लो, देवपाल पत्नि भौती, रामचन्द पत्नि चौथी, श्योजी के वारिस हरभान, कलावती दीपचन्द कलुआ, देवपाल के नत्थी, रामचन्द के मंगलराम, डूंगर तथा दीपचन्द के पुत्र बाबू राजाराम रामखिलाडी एवं पुत्रियॉ फूलवती, सुफेदी हैं तथा कलुआ के पुत्र भरोसी राधामोहन वासुदे एवं पुत्रियॉ गोमा, सुक्को, पांची हैं तथा नत्थी के पुत्र शिवचरण शिवराम शिवदयाल एवं पुत्रियॉ माया, सुआ, सुनीता, शिमला हैं तथा मंगलराम के पुत्र भागमल पदम भरतलाल एवं पुत्रियॉ खेलो, अंगूरी, रूमाली, तुलसा हैं।

नकल मिसल हकियत बन्दोवस्ती सम्बत् 1984 मौजा क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 523 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 524 रकबा 12 बिस्वा, 525 रकबा 9 बिस्वा, 611 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी मनी बल्द मंगला कौम माली साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा दिनाक 07.08.2020 को फर्द मौका तैयार कर फर्द मौका में अंकित किया है कि आज दिनांक 07.08.2020 को श्रीमान् उपखण्ड

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अधिकारी हिण्डौन के आदेश कमांक कोर्ट/2020/757 दिनांक 23.07.2020 की पालना में ग्राम क्यारदाखुर्द के मौके पर पहुँची। मौके पर पहुँचकर उपस्थित लोगों ने अवगत कराया कि मंगल पुत्र श्यौजी नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि मंगल पुत्र रामचन्द जाति माली नाम का व्यक्ति था। जिसके वारिस कलादेवी पत्नि मंगल मृतक, भागमल पुत्र जीवित, अंगूरी पुत्री जीवित, भरतलाल पुत्र जीवित, खेलो पुत्री जीवित, अंगूरी पुत्री जीवित, रूमाली पुत्री जीवित, तुलसा पुत्री जीवित । फर्द मौका मौके पर तैयार कर उपस्थित ग्रामवासियों को पढकर सुनाया व हस्ताक्षर करवाये गये।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 4 वाद पत्र साबिक में वादीगण के पिता श्योजी की खातेदारी रहना साबित है किन्तु उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर श्योजी का कब्जा काश्त होना साबित नहीं है। क्योंकि उक्त विवादित आराजीयात श्योजी को अपने पिता मनी उर्फ मन्नी पुत्र मंगला से परिवार का कर्ताखानदान होने एवं मनी उर्फ मन्नी का बडा पुत्र श्यौजी होने के नाते विरासत में प्राप्त हुई है। जबकि मन्नी के तीन लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द थे। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में श्योजी मात्र 1/3 हिस्से का एवं 1/3 हिस्से का देवपाल, 1/3 हिस्से का रामचन्द खातेदार दर्ज होना चाहिए था। इसलिए श्योजी को अपने पिता मन्नी से प्राप्त विरासत की सम्पत्ति का श्यौजी के फौत होने पर श्योजी व देवपाल, रामचन्द के लडकों के नाम विरासत का नामान्तकरण 249 दिनांक 27.04.1974 सही भरा गया है किन्तु उसमें मंगल एवं नत्थी के पिता का नाम श्यौजी गलत तरीके से दर्ज कर दिया है, जबकि नत्थी के पिता का नाम देवपाल तथा मंगल के पिता का नाम रामचन्द दर्ज करना चाहिए था। प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्यौजी को अपने पिता मन्नी से परिवार का कर्ताखानदान व सबसे बडा पुत्र होने के नाते विरासत में प्राप्त है। जबकि श्यौजी के साथ साथ उसके दोनों भाई देवपाल व रामचन्द के नाम भी खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात अकेले श्योजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात नहीं है बल्कि मन्नी के तीनों लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द की बहिस्सा बराबर की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसकी खातेदारी गलत रूप से अकेले श्यौजी के नाम दर्ज हो गई थी, जिसका नाजायज फायदा वादीगण उठाना चाहते हैं। वादीगण ने ऐसा कोई भी ऐसा दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्योजी को अपने पिता मन्नी से विरासत में प्राप्त नहीं हुई हो बल्कि श्योजी की स्वअर्जित सम्पत्ति हो। इस प्रकार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वादीगण इस तनकी को साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसे हालात में यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 2 :– आया आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 295 रकबा 5 वीघा 3 विस्वा, खसरा नम्बर 297 रकबा 6 वीघा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 294/1 रकबा 1 वीघा 6 विस्वा तथा खसरा नम्बर 294/2 रकबा 1 वीघा 5 विस्वा वाके ग्राम क्यारदा खुर्द, तहसील हिण्डौन की खातेदारी साबिक में मन्नी पुत्र मंगला, जाति माली, निवासी क्यारदाखुर्द के नाम दर्ज थी। उक्त मन्नी की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि की खातेदारी उसके तीन लड़के श्योजी, देवपाल एवं रामचन्द्र के नाम होनी चाहिए थी, लेकिन रेवन्यू अधिकारीयों की भूल के कारण उसकी खातेदारी केवल उसके बड़े पुत्र श्योजी के नाम दर्ज हो गयी। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 4 वाद पत्र साबिक में वादीगण के पिता श्योजी की खातेदारी रहना साबित है किन्तु उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर श्योजी का कब्जा काश्त होना साबित नहीं है। क्योंकि उक्त विवादित आराजीयात श्योजी को अपने पिता मनी उर्फ मन्नी पुत्र मंगला से परिवार का कर्ताखानदान होने एवं मनी उर्फ मन्नी का बडा पुत्र श्यौजी होने के नाते विरासत में प्राप्त हुई है। जबकि मन्नी के तीन लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द थे। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में श्योजी मात्र 1/3 हिस्से का एवं 1/3 हिस्से का देवपाल, 1/3 हिस्से का रामचन्द खातेदार दर्ज होना चाहिए था। इसलिए श्योजी को अपने पिता मन्नी से प्राप्त विरासत की सम्पत्ति का श्यौजी के फौत होने पर श्योजी व देवपाल, रामचन्द के लडकों के नाम विरासत का नामान्तकरण 249 दिनांक 27.04.1974 सही भरा गया है किन्तु उसमें मंगल एवं नत्थी के पिता का नाम श्यौजी गलत तरीके से दर्ज कर दिया है, जबकि नत्थी के पिता का नाम देवपाल तथा मंगल के पिता का नाम रामचन्द दर्ज करना चाहिए था। प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्यौजी को अपने पिता मन्नी से परिवार का कर्ताखानदान व सबसे बडा पुत्र होने के नाते विरासत में प्राप्त है। जबकि श्यौजी के साथ साथ उसके दोनों भाई देवपाल व रामचन्द के नाम भी खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात अकेले श्योजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात नहीं है बल्कि मन्नी के तीनों लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द की बहिस्सा बराबर की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसकी खातेदारी गलत रूप से अकेले श्यौजी के नाम दर्ज हो गई थी, जिसका नाजायज फायदा वादीगण उठाना चाहते हैं। वादीगण ने ऐसा कोई भी ऐसा दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्योजी को अपने पिता मन्नी से विरासत में प्राप्त नहीं हुई हो बल्कि श्योजी की स्वअर्जित सम्पत्ति हो। ऐसे हालात में यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 3 :—आया आराजी मुतजिक्रा मद नम्बर 4 वाद पत्र के वादीगण 1/3 हिस्से के, प्रतिवादी नम्बर 1 मंगल 1/3 हिस्से का तथा प्रतिवादी नम्बर 2 नत्थी 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार है तथा उसी अनुरूप खातेदारी में अपना नाम दर्ज कराने के मुश्तहक है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01 व 2 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 4 वाद पत्र साबिक में वादीगण के पिता श्योजी की खातेदारी रहना साबित है किन्तु उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर श्योजी का कब्जा काश्त होना साबित नहीं है। क्योंकि उक्त विवादित आराजीयात श्योजी को अपने पिता मनी उर्फ मन्नी पुत्र मंगला से परिवार का कर्ताखानदान होने एवं मनी उर्फ मन्नी का बडा पुत्र श्यौजी होने के नाते विरासत में प्राप्त हुई है। जबकि मन्नी के तीन लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द थे। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में श्योजी मात्र 1/3 हिस्से का एवं 1/3 हिस्से का देवपाल, 1/3 हिस्से का रामचन्द खातेदार दर्ज होना चाहिए था। इसलिए श्योजी को अपने पिता मन्नी से प्राप्त विरासत की सम्पत्ति का श्यौजी के फौत होने पर श्योजी व देवपाल, रामचन्द के लडकों के नाम विरासत का नामान्तकरण 249 दिनांक 27.04.1974 सही भरा गया है किन्तु उसमें मंगल एवं नत्थी के पिता का नाम श्यौजी गलत तरीके से दर्ज कर दिया है, जबकि नत्थी के पिता का नाम देवपाल तथा मंगल के पिता का नाम रामचन्द दर्ज करना चाहिए था। प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्यौजी को अपने पिता मन्नी से परिवार का कर्ताखानदान व सबसे बडा पुत्र होने के नाते विरासत में प्राप्त है। जबकि श्यौजी के साथ साथ उसके दोनों भाई देवपाल व रामचन्द के नाम भी खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात अकेले श्योजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात नहीं है बल्कि मन्नी के तीनों लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द की बहिस्सा बराबर की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसकी खातेदारी गलत रूप से अकेले श्यौजी के नाम दर्ज हो गई थी, जिसका नाजायज फायदा वादीगण उठाना चाहते हैं। वादीगण ने ऐसा कोई भी ऐसा दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्योजी को अपने पिता मन्नी से विरासत में प्राप्त नहीं हुई हो बल्कि श्योजी की स्वअर्जित सम्पत्ति हो। साबिक व वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीण व उनके बुजुर्गान

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

के द्वारा उक्त विवादित आराजीयात में से बेचान भी किया जा चुका है इसलिए पक्षकारान के हिस्सों में परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है बल्कि प्रतिवादी नम्बर 1 मंगल के पिता का नाम श्योजी के स्थान पर रामचन्द की दुरूस्ती किया जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में यह तनकी आशिक रूप से बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 4 :—आया नामान्तकरण संख्या 249, तारीखी 27.04.1974 में प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 के पिता का नाम देवपाल व रामचन्द्र की बजाय श्योजी गलत दर्ज कर दिया गया था। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01,2 व 3, के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 4 वाद पत्र साबिक में वादीगण के पिता श्योजी की खातेदारी रहना साबित है किन्तु उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर श्योजी का कब्जा काश्त होना साबित नहीं है। क्योंकि उक्त विवादित आराजीयात श्योजी को अपने पिता मनी उर्फ मन्नी पुत्र मंगला से परिवार का कर्ताखानदान होने एवं मनी उर्फ मन्नी का बडा पुत्र श्यौजी होने के नाते विरासत में प्राप्त हुई है। जबकि मन्नी के तीन लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द थे। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में श्योजी मात्र 1/3 हिस्से का एवं 1/3 हिस्से का देवपाल, 1/3 हिस्से का रामचन्द खातेदार दर्ज होना चाहिए था। इसलिए श्योजी को अपने पिता मन्नी से प्राप्त विरासत की सम्पत्ति का श्यौजी के फौत होने पर श्योजी व देवपाल, रामचन्द के लडकों के नाम विरासत का नामान्तकरण 249 दिनांक 27.04.1974 सही भरा गया है किन्तु उसमें मंगल एवं नत्थी के पिता का नाम श्यौजी गलत तरीके से दर्ज कर दिया है, जबकि नत्थी के पिता का नाम देवपाल तथा मंगल के पिता का नाम रामचन्द दर्ज करना चाहिए था। प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्यौजी को अपने पिता मन्नी से परिवार का कर्ताखानदान व सबसे बडा पुत्र होने के नाते विरासत में प्राप्त है। जबकि श्यौजी के साथ साथ उसके दोनों भाई देवपाल व रामचन्द के नाम भी खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात अकेले श्योजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात नहीं है बल्कि मन्नी के तीनों लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द की बहिस्सा बराबर की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसकी खातेदारी गलत रूप से अकेले श्यौजी के नाम दर्ज हो गई थी, जिसका नाजायज फायदा वादीगण उठाना चाहते हैं। वादीगण ने ऐसा कोई भी ऐसा दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्योजी को अपने पिता मन्नी से विरासत में प्राप्त नहीं हुई हो बल्कि श्योजी की स्वअर्जित सम्पत्ति

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हो। साबिक व वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीण व उनके बुजुर्गान के द्वारा उक्त विवादित आराजीयात में से बेचान भी किया जा चुका है इसलिए पक्षकारान के हिस्सों में परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है बल्कि प्रतिवादी नम्बर 1 मंगल के पिता का नाम श्योजी के स्थान पर रामचन्द की दुरूस्ती किया जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 5 :– आया आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 4 वाद पत्र के खातेदारी के खाने में वादीगण ने अल्टीरियर मोटिव से अपना नाम 1/2 हिस्से में तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 का नाम 1/4, 1/4 हिस्से में दर्ज करवा दिया जबकि वादीगण का नाम 1/3 हिस्से में तथा प्रतिवादी नम्बर 1 मंगल पुत्र रामचन्द्र का नाम 1/3 हिस्से में तथा प्रतिवादी नम्बर 2 नत्थी पुत्र देवपाल का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज होना चाहिए था। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01 ता 4 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 4 वाद पत्र साबिक में वादीगण के पिता श्योजी की खातेदारी रहना साबित है किन्तु उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर श्योजी का कब्जा काश्त होना साबित नहीं है। क्योंकि उक्त विवादित आराजीयात श्योजी को अपने पिता मनी उर्फ मन्नी पुत्र मंगला से परिवार का कर्ताखानदान होने एवं मनी उर्फ मन्नी का बडा पुत्र श्यौजी होने के नाते विरासत में प्राप्त हुई है। जबकि मन्नी के तीन लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द थे। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में श्योजी मात्र 1/3 हिस्से का एवं 1/3 हिस्से का देवपाल, 1/3 हिस्से का रामचन्द खातेदार दर्ज होना चाहिए था। इसलिए श्योजी को अपने पिता मन्नी से प्राप्त विरासत की सम्पत्ति का श्यौजी के फौत होने पर श्योजी व देवपाल, रामचन्द के लडकों के नाम विरासत का नामान्तकरण 249 दिनांक 27.04.1974 सही भरा गया है किन्तु उसमें मंगल एवं नत्थी के पिता का नाम श्यौजी गलत तरीके से दर्ज कर दिया है, जबकि नत्थी के पिता का नाम देवपाल तथा मंगल के पिता का नाम रामचन्द दर्ज करना चाहिए था। प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्यौजी को अपने पिता मन्नी से परिवार का कर्ताखानदान व सबसे बडा पुत्र होने के नाते विरासत में प्राप्त है। जबकि श्यौजी के साथ साथ उसके दोनों भाई देवपाल व रामचन्द के नाम भी खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात अकेले श्योजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात नहीं है बल्कि मन्नी के तीनों लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द की बहिस्सा बराबर की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसकी खातेदारी गलत रूप से

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अकेले श्यौजी के नाम दर्ज हो गई थी, जिसका नाजायज फायदा वादीगण उठाना चाहते हैं। वादीगण ने ऐसा कोई भी ऐसा दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्योजी को अपने पिता मन्नी से विरासत में प्राप्त नहीं हुई हो बल्कि श्योजी की स्वअर्जित सम्पत्ति हो। साबिक व वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीण व उनके बुजुर्गान के द्वारा उक्त विवादित आराजीयात में से बेचान भी किया जा चुका है इसलिए पक्षकारान के हिस्सों में परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है बल्कि प्रतिवादी नम्बर 1 मंगल के पिता का नाम श्योजी के स्थान पर रामचन्द की दुरूस्ती किया जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में यह तनकी आशिक रूप से बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 6 :—आया प्रतिवादीगण नम्बर 1/1 ता 1/7 आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1, 2 व 3 वाद पत्र की खातेदारी के खानें में मंगल की बलदियत श्योजी के स्थान पर रामचन्द्र दर्ज कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01 ता 5 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 4 वाद पत्र साबिक में वादीगण के पिता श्योजी की खातेदारी रहना साबित है किन्तु उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर श्योजी का कब्जा काश्त होना साबित नहीं है। क्योंकि उक्त विवादित आराजीयात श्योजी को अपने पिता मनी उर्फ मन्नी पुत्र मंगला से परिवार का कर्ताखानदान होने एवं मनी उर्फ मन्नी का बडा पुत्र श्यौजी होने के नाते विरासत में प्राप्त हुई है। जबकि मन्नी के तीन लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द थे। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में श्योजी मात्र 1/3 हिस्से का एवं 1/3 हिस्से का देवपाल, 1/3 हिस्से का रामचन्द खातेदार दर्ज होना चाहिए था। इसलिए श्योजी को अपने पिता मन्नी से प्राप्त विरासत की सम्पत्ति का श्यौजी के फौत होने पर श्योजी व देवपाल, रामचन्द के लडकों के नाम विरासत का नामान्तकरण 249 दिनांक 27.04.1974 सही भरा गया है किन्तु उसमें मंगल एवं नत्थी के पिता का नाम श्यौजी गलत तरीके से दर्ज कर दिया है, जबकि नत्थी के पिता का नाम देवपाल तथा मंगल के पिता का नाम रामचन्द दर्ज करना चाहिए था। प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्यौजी को अपने पिता मन्नी से परिवार का कर्ताखानदान व सबसे बडा पुत्र होने के नाते विरासत में प्राप्त है। जबकि श्यौजी के साथ साथ उसके दोनों भाई देवपाल व रामचन्द के नाम भी खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात अकेले श्योजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात नहीं है बल्कि

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

मन्नी के तीनों लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द की बहिस्सा बराबर की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसकी खातेदारी गलत रूप से अकेले श्यौजी के नाम दर्ज हो गई थी, जिसका नाजायज फायदा वादीगण उठाना चाहते हैं। वादीगण ने ऐसा कोई भी ऐसा दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्योजी को अपने पिता मन्नी से विरासत में प्राप्त नहीं हुई हो बल्कि श्योजी की स्वअर्जित सम्पत्ति हो। साबिक व वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीण व उनके बुजुर्गान के द्वारा उक्त विवादित आराजीयात में से बेचान भी किया जा चुका है इसलिए पक्षकारान के हिस्सों में परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है बल्कि प्रतिवादी नम्बर 1 मंगल के पिता का नाम श्योजी के स्थान पर रामचन्द की दुरूस्ती किया जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 7 :– आया आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 1 व 3 वाद पत्र में प्रतिवादीगण नम्बर 1/1 ता 1/7 का 1/3 हिस्सा, वादीगण का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/3 हिस्सा उसी अनुरूप वे राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01 ता 6 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 4 वाद पत्र साबिक में वादीगण के पिता श्योजी की खातेदारी रहना साबित है किन्तु उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर श्योजी का कब्जा काश्त होना साबित नहीं है। क्योंकि उक्त विवादित आराजीयात श्योजी को अपने पिता मनी उर्फ मन्नी पुत्र मंगला से परिवार का कर्ताखानदान होने एवं मनी उर्फ मन्नी का बडा पुत्र श्यौजी होने के नाते विरासत में प्राप्त हुई है। जबकि मन्नी के तीन लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द थे। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में श्योजी मात्र 1/3 हिस्से का एवं 1/3 हिस्से का देवपाल, 1/3 हिस्से का रामचन्द खातेदार दर्ज होना चाहिए था। इसलिए श्योजी को अपने पिता मन्नी से प्राप्त विरासत की सम्पत्ति का श्यौजी के फौत होने पर श्योजी व देवपाल, रामचन्द के लडकों के नाम विरासत का नामान्तकरण 249 दिनांक 27.04.1974 सही भरा गया है किन्तु उसमें मंगल एवं नत्थी के पिता का नाम श्यौजी गलत तरीके से दर्ज कर दिया है, जबकि नत्थी के पिता का नाम देवपाल तथा मंगल के पिता का नाम रामचन्द दर्ज करना चाहिए था। प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्यौजी को अपने पिता मन्नी से परिवार का कर्ताखानदान व सबसे बडा पुत्र होने के नाते विरासत में प्राप्त है। जबकि श्यौजी के साथ साथ उसके दोनों भाई देवपाल व रामचन्द के नाम भी खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

में दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात अकेले श्योजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात नहीं है बल्कि मन्नी के तीनों लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द की बहिस्सा बराबर की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसकी खातेदारी गलत रूप से अकेले श्यौजी के नाम दर्ज हो गई थी, जिसका नाजायज फायदा वादीगण उठाना चाहते हैं। वादीगण ने ऐसा कोई भी ऐसा दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्योजी को अपने पिता मन्नी से विरासत में प्राप्त नहीं हुई हो बल्कि श्योजी की स्वअर्जित सम्पत्ति हो। साबिक व वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीण व उनके बुजुर्गान के द्वारा उक्त विवादित आराजीयात में से बेचान भी किया जा चुका है इसलिए पक्षकारान के हिस्सों में परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है बल्कि प्रतिवादी नम्बर 1 मंगल के पिता का नाम श्योजी के स्थान पर रामचन्द की दुरूस्ती किया जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में यह तनकी आशिक रूप से बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

निर्णय तनकी नं0 8 :— आया आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 2 वाद पत्र में वादीगण, 1 /6 हिस्से के, प्रतिवादी नम्बर 1/1 ता 1/7, 1/6 हिस्से के तथा प्रतिवादी नम्बर 2, 1/6 हिस्से का एवं प्रतिवादीगण नम्बर 3 लगायत 10, 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है तथा उसी अनुरूप उक्त भूमि की खातेदारी के खाने में नाम अंकन कराकर उसी अनुरूप उक्त भूमि का तकास्मा कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के जिम्मे है। तनकी नं01 ता 7 के निर्णय में विस्तृत विवेचन किया जा चुका है और यह स्पष्ट हो चुका है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 4 वाद पत्र जिसके नवीन खसरा नम्बर मुतजिका मद नं01,2,3 हैं के साबिक में वादीगण के पिता श्योजी की खातेदारी रहना साबित है किन्तु उक्त भूमि के सम्पूर्ण हिस्से पर श्योजी का कब्जा काश्त होना साबित नहीं है। क्योंकि उक्त विवादित आराजीयात श्योजी को अपने पिता मनी उर्फ मन्नी पुत्र मंगला से परिवार का कर्ताखानदान होने एवं मनी उर्फ मन्नी का बडा पुत्र श्यौजी होने के नाते विरासत में प्राप्त हुई है। जबकि मन्नी के तीन लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द थे। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात में श्योजी मात्र 1/3 हिस्से का एवं 1/3 हिस्से का देवपाल, 1/3 हिस्से का रामचन्द खातेदार दर्ज होना चाहिए था। इसलिए श्योजी को अपने पिता मन्नी से प्राप्त विरासत की सम्पत्ति का श्यौजी के फौत होने पर श्योजी व देवपाल, रामचन्द के लडकों के नाम विरासत का नामान्तकरण 249 दिनांक 27.04.1974 सही भरा गया है किन्तु उसमें मंगल एवं नत्थी के पिता का नाम श्यौजी गलत तरीके से दर्ज कर दिया है, जबकि नत्थी के पिता का नाम देवपाल तथा मंगल के पिता का नाम

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रामचन्द दर्ज करना चाहिए था। प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्यौजी को अपने पिता मन्नी से परिवार का कर्ताखानदान व सबसे बडा पुत्र होने के नाते विरासत में प्राप्त है। जबकि श्यौजी के साथ साथ उसके दोनों भाई देवपाल व रामचन्द के नाम भी खातेदारी में दर्ज होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त विवादित आराजीयात अकेले श्योजी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात नहीं है बल्कि मन्नी के तीनों लडके श्योजी, देवपाल, रामचन्द की बहिस्सा बराबर की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिसकी खातेदारी गलत रूप से अकेले श्यौजी के नाम दर्ज हो गई थी, जिसका नाजायज फायदा वादीगण उठाना चाहते हैं। वादीगण ने ऐसा कोई भी ऐसा दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजीयात वादीगण के पिता श्योजी को अपने पिता मन्नी से विरासत में प्राप्त नहीं हुई हो बल्कि श्योजी की स्वअर्जित सम्पत्ति हो। साबिक व वर्तमान राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीण व उनके बुजुर्गान के द्वारा उक्त विवादित आराजीयात में से बेचान भी किया जा चुका है इसलिए पक्षकारान के हिस्सों में परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है बल्कि प्रतिवादी नम्बर 1 मंगल के पिता का नाम श्योजी के स्थान पर रामचन्द की दुरूस्ती किया जाना ही न्यायोचित प्रतीत होता है तथा दौराने बहस प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बंटवारा की रिलीफ नहीं चाहने बाबत् निवेदन किया है। इसलिए विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं0 2 वाद पत्र के बाबत् प्रतिवादीगण को बंटवारे की रिलीफ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसे हालात में यह तनकी आशिक रूप से बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है। :

दादरसी :– उपरोक्त वर्णित सभी तनकीयात का निर्णय बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण हुआ है। वादीगण अपने वाद पत्र के साबित करने में असफल रहे हैं। इसलिए वादीगण का दावा खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है तथा प्रतिवादीगण अपने काउन्टर क्लेम को साबित करने में आंशिक रूप से सफल हुए हैं। इसलिए प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् इस्तकरार हक, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा विवादित आराजी खसरा नम्बर 447 रकबा 0.71 है0, 448 रकबा 0.73 है0, 437 रकबा 0.31 है0, 445 रकबा 0.32 है0, 446 रकबा 0.01 है0, 483 रकबा 0.46 है0, 484 रकबा 0.37 है0, 485 रकबा 0.25 है0, 537 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खिलाफ वादीगण आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 447 रकबा 0.71 है0,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

448 रकबा 0.73 है0, 437 रकबा 0.31 है0, 445 रकबा 0.32 है0, 446 रकबा 0.01 है0, 483 रकबा 0.46 है0, 484 रकबा 0.37 है0, 485 रकबा 0.25 है0, 537 रकबा 0.81 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी के कॉलम में मंगल पुत्र श्योजी के स्थान पर मंगल पुत्र रामचन्द की इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राजात एवं हिस्सा मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगें तथा खातेदार मंगल पुत्र रामचन्द फौत हो चुका है, इसलिए उसकी विरासत की जॉच कर नियमानुसार विरासत का नामान्तकरण तस्दीक किया जावे। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें तथा मृतक मंगल के वारिसान के नाम नियमानुसार विरासत का नामान्तकरण तस्दीक करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/12/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

9/12/25